कार्यपालन सारांश– पुनर्वास योजना

1. राजस्थान सरकार (रास) ने भारत सरकार (भास) के माध्यम से एशियन विकास बैंक (एविबैं) से राजस्थान राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (राअऊप्रनिका) के आंशिक निधियन हेतु बहु–वित्तांश वित्त–पोषण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निवेदन किया है। निवेश योजना, भारत के राष्ट्रीय ग्रिड के लिए सामूहिक सब–स्टेशनों तथा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (अउवो) प्रसारण लाइनों का निर्माण कर स्वच्छ (क्लीन) ऊर्जा के प्रसारण हेतु निवेशों को आवृत करती है। यह पुनर्स्थापन योजना (पुयो) अभियान्त्रिकी के परिरूप (डिजाइन) पर आधारित है। पुनर्स्थापन का प्रभाव महत्त्वहीन है और परियोजना को एविबैंके संरक्षोपाय नीति विवरण 2009 (संनीवि) के अनुसार अनैच्छिक पुनर्स्थापन (अपु) के लिए 'बी–2 तथा देशज लोगों के लिए ''सी'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. परियोजना किसी निजी भूमि की अवाप्ति की परिणामी नहीं होगी। इससे भौतिक विस्थापन, आर्थिक विस्थापन तथा आजिविका की क्षति पर किसी प्रकार का स्थाई प्रभाव नहीं होगा। ग्रिड सब–स्टेशनों के निर्माण के लिए सामान्यतः भूमि अवाप्ति की आवश्यकता होती है। परियोजनान्तर्गत (भादला, रामगढ़ तथा बाप) ग्रिड सब–स्टेशनों का सरकारी भूमि, जो बंजर तथा किसी उपयोग रहित है, में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रसारण लाइनों का निर्माण, किसी भू–अवाप्ति तथा पुनर्स्थापन का परिणामी नहीं होगा। तथापि, परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निर्माण के दौरान फसल को क्षति होने का प्रभाव पूर्वदृष्ट है।

3. पुनर्स्थापन योजना तैयार किये जाने के दौरान विभिन्न हितधारियों के साथ परामर्श किये गये थे तथा परियोजना के कार्यान्वयन की पूरी अवधि में ये यह जारी रहेगा। माह नवम्बर, 2011 से जनवरी 2012 के दौरान सामाजिक संधात निर्धारण के भाग के रूप में 400 परिवारों के मुखियाओं से साक्षात्कार कर सामाजिक निर्धारण में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त प्रसारण लाइनों के समानान्तर सामाजिक सर्वेक्षण दलों द्वारा केन्द्रित समूह परिचर्चाओं के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श किये गये थे। पात्रता मैट्रिक्स सहित पुनर्स्थापना योजना के सारांश का स्थानीय भाषा (हिन्दी) में अनुवाद किया जायेगा तथा प्रभावित लोगों (प्रलो) को प्रकट कर दिया जायेगा तथा स्थानीय राजस्व कार्यालयों व

कार्यपालन एजेन्सी (काए) कार्यालयों पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा। पुनर्स्थापन योजना की एक प्रतिलिपि राराविप्रनि तथा एविबैं की वेबसाइट पर भी प्रकट कर दी जायेगी। परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रभावित लोगों की शिकायतों का निवारण हो, एक शिकायत निवारण रचना तन्त्र (शिनिर) स्थापित किया जायेगा।

4. परियोजना के लिए नीतिगत ढ़ाँचा तथा पात्रतायें, राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित हैं :

भू अवाप्ति अधिनियम, 1894 (1984 में संशोधित भूअअ) तथा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 (रापुएवंपुनी) तथा एविबैं की संरक्षोपाय नीति विवरण, 2009 (संनीवि)। परियोजना का परिणाम, निर्माणावधि के दौरान फसल पर अस्थायी प्रभाव, जो पूर्वदृष्ट है, को छोड़कर न तो भौतिक विस्थापन और न ही आर्थिक विस्थापन होगा। पात्रता मैट्रिक्स, जो वर्तमान बाजार मूल्यों पर आधारित होगा, के अनुसार पर्याप्त क्षतिपूर्ति की जायेगी। इसके अलावा, असुरक्षित परिवारों के प्रत्यक्षतः प्रभावित होने की दशा में उन्हें तीन महीनों की न्यूनतम मजदूरी के बराबर अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।

5. परियोजना के लिए राराविप्रनिलि, कार्यपालन एजेन्सी (काए) के अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेन्सी (काए) भी होगी। राराविप्रनिलि निगम स्तर, जो जयपुर है तथा राराविप्रनिलि के उप– परियोजना स्तर के क्षेत्रीय कार्यालय, जो इस मामलें मे वित्तांश – 1 अवयव के हेतु जोधपुर है, के लिए एक परियोजना प्रबन्धन इकाई (पप्रइ) का गठन करेगा। पप्रइ का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता (प्र.एवंनि) करेंगे तथा अधीक्षण अभियन्ता (योजना) एविबैं, भारत सरकार, डीईए, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त आन्तरिक प्रकार्यों जैसे पर्यावरण एवं सामाजिक/आरएण्डआर रिपोर्टिंग, विधिक, वित्त एवं लेखा, क्षेत्रीय परियोजना कार्यालयों, उपापन तथा संविदाओं आदि के आन्तरिक समन्वय तथा राराविप्रनि के अन्दर अन्य प्रकार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। एक पर्यावरण एवं सामाजिक प्रकोष्ठ (पसाप्र) नामोद्दिष्ट किया जायेगा और उसका नेतृत्व एक अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, जिसे पर्यावरण, आरएण्डआर तथा सामाजिक संरक्षोपाय जैसे क्षेत्रों में एविबैं द्वारा निधिबद्ध परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु नामोद्दिष्ट किया जायेगा। इन विशिष्ट प्रकार्यों हेतु पसाप्र की सहायता के लिए राराविप्रनिलि, अनुश्रवण के प्रयोजनार्थ, उपयुक्त परामर्शदाताओं को किराये पर ले सकता है।

सब–स्टेशनों के लिए समस्त भू–अवाप्ति (इस मामले में सरकारी भूमि), सिविल कार्य शुरू होने से पूर्व पूरी की जायेगी। क्षतिपूर्ति तथा फसलों पर हुये अस्थाई प्रभाव के लिए प्रभावित लोगों को सहायता का भुगतान उस विशिष्ट खण्ड में सिविल कार्य शुरू किये जाने से पूर्व चरणबद्ध रीति से पूरा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त का ए (EA) निर्माण गतिविधियां, यथासम्भव, गैर–मौसम के दौरान करवाने के हरसम्भव प्रयास करेगी। संविदाकार को परियोजना स्थल सम्भलाने और सिविल कार्य शुरू किये जाने से पूर्व अपेक्षित सारी भूमि भार–ग्रस्तता से मुक्त उपलब्ध करवायी जायेगी। इस उप–परियोजना की पुनर्स्थापन लागत के प्राक्कलन में, फसल की क्षति के लिए वांछनीय क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापन योजना कार्यान्वयन सहायता लागत शामिल है। ये सम्पूर्ण परियोजना लागत का भाग हैं। कार्यान्वयन के दौरान लागत में किसी प्रकार के परिवर्तन से निपटने के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त लागत का एक आकस्मिकता प्रावधान रखा गया है। परियोजना के लिए एक अस्थाई बजट, जिसकी राशि भारतीय रूपये में 97.23 मिलियन रू. है, परिकलित किया गया है। रारावित्रनिलि को पुनर्स्थापन प्रगति के निर्धारण हेतु प्रभावी आधार उपलब्ध करवाने तथा संभावित कठिनाइयों व समस्याओं का अभिज्ञान करने हेतु पुनर्स्थापन योजना कार्यान्वयन का गहनता से अनुश्रवण किया जायेगा। रारावित्रनिलि द्वारा एविबैं को अर्द्ध–वार्षिक निगरानी रिपोर्टें प्रस्तुत की जायेगी।

पात्रतायें, सहायता तथा लाभ

सभी प्रभावित लोगों (प्रलो) को सम्पत्ति की हानि के लिए क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर प्रदान की जायेगी। आय तथा आजिविका की हुयी हानि के लिए पुनर्स्थापना सहायता, हकधारियों तथा गैर– हकधारियों दोनों को दी जायेगी। विशेष पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास उपाय, गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल), अनुसूचित जनजाति (अजजा), महिला मुखिया परिवारों (ममुप), भौतिक रूप से दिव्यांग (भौदि) परिवारों तथा गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों (उत्पादक सम्पत्ति के 10 प्रतिशत से अधिक हानि वाले) वाले असुरक्षित समूह को, उपलब्ध करवाये जायेंगे। पात्रता मैट्रिक्स, सारणी–3 में दिया गया है, जो परियोजना के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की हानियों, विशिष्ट क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना पैकेजों का अभिज्ञान करवाता है।

सारणी 3 : पात्रता मैट्रिक्स

हानियों का प्रकार	प्रभावित लोगों की परिमाण	पात्रता	विवरण
सरकारी भूमि एवं सम्पत्ति			
सरकारी सम्पत्ति (भूमि की हानि)	• सम्बन्धित सरकारी विभाग	• विभागीय भूमि अन्तरण	• राजस्थान सरकार के प्रावधानानुसार अपेक्षित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति • अन्तर्सरकारी विभाग के माध्यम से भूमि का अन्तरण • रारावि‌प्रनिलि द्वारा सम्बन्धित विभाग को भूमि के मूल्य का भुगतान तथा स्वामित्व का विभागीय अन्तरण
पेड़ तथा फसल			
पेड़ों की हानि	• भूधारी • फसल के साझी • पट्टाधारी	• बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति का परिकलन उद्यानिकी विभाग की सहायता से किया जाना है।	• प्रभावित लोगों को फलों को एकत्रित करने व पेड़ों को हटाने के लिए अग्रिम नोटिस • फल वाले पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति अगले उत्पादक वर्षों के लिए औसत फल उत्पादन पर वर्तमान बाजार मूल्य पर परिकलित की जानी है। • इमारती लकड़ी वाले पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति पेड़ों के प्रकार पर आधारित बाजार मूल्य पर।
फसल की हानि	• भूधारी • फसल के साझी • पट्टाधारी	• बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति का परिकलन उद्यानिकी विभाग की सहायता से किया जाना है।	• प्रभावित लोगों को फसल की कटाई के लिए अग्रिम नोटिस • खड़ी फसल की दशा में पकी फसल की नकद क्षतिपूर्ति, औसत उत्पादन के आधार पर परिकलित की जाने वाली वर्तमान बाजार लागत पर।

अस्थाई हानि			
भूमि की अस्थाई हानि तथा निर्माण के दौरान फसल की हानि पर अस्थाई क्षति	• लाइनों के निर्माण की, अवधि के दौरान अस्थाई आधार पर भूमि व फसल खोने वाले प्रभावित लोग • खेतीहर परिवार • फसल से साझी • गैर हकदारी परिवार	• खड़ी फसल को काटने के नोटिस • एक मौसम के लिए बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति • पुनःस्थापन	• अधिवास अवधि के लिए हकधारी के लिए किराये का प्रावधान • खोयी सम्पत्ति के लिए प्रतिस्थापन मूल्य पर क्षतिपूर्ति • पुरानी भूमि पर या अच्छी गुणवत्ता वाली पर पुनःस्थापन • इसके अतिरिक्त, निर्माण के बाद संधारण एवं मरम्मत के दौरान मार्गाधिकार के अन्तर्गत फसल की अस्थाई क्षति के लिए नकद क्षतिपूर्ति दी जायेगी। यदि भविष्य में प्रसारण लाइनों के मरम्मत या संधारण की जरूरत हो, तो परियोजना प्राधिकारी भू–स्वामी से संधारण एवं मरम्मत के लिए, आवश्यक होने पर, भूमि तक अभिगमन हेतु सम्पर्क करेंगे तथा भू–स्वामी खेती की गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग चालू रखेंगे।
असुरक्षित परिवार			
असुरक्षित प्रभावित लोगों पर प्रभाव	सभी प्रभाव	असुरक्षित प्रभावित लोग	• तीन महीने की न्यूनतम मजदूरी पर आधारित अतिरिक्त सहायता • परियोजना निर्माण रोजगार में असुरक्षित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
अप्रत्याशित प्रभाव			
अभिज्ञात न किये गये अन्य प्रभाव	प्रभावित परिवार या व्यक्ति	• क्षतिपूर्ति तथा सहायता	• पुनर्स्थापना ढ़ाँचान्तर्गत सहमत सिद्धान्तों पर आधारित गैर–पूर्वदृष्ट संधात प्रलेखित व अल्पतम किये जायेंगे।

शिकायत निवारण रचना तन्त्र

कार्यालय एजेन्सी प्रभावित लोगों की भौतिक व आर्थिक विस्थापन व अन्य परियोजना प्रभावों की चिन्ताओं व शिकायतों की प्राप्ति व समाधान को सुगम बनाने, असुरक्षित समूहों पर प्रभावों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने हेतु एक रचना तन्त्र स्थापित करेगी। शिकायत निवारण रचना तन्त्र, प्रभावित लोगों की चिन्ताओं व शिकायतों का, बोधगम्य व पारदर्शी अर्थात् लिंगानुकूल, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तथा प्रभावित लोगों के लिए सरलता से निःशुल्क व बिना किसी प्रतिकार के अभिगम्य प्रक्रिया से समाधान करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित लोगों की शिकायतों का निवारण होता है तथा परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु एक शिकायत निवारण समिति (शिनिस) का गठन किया जायेगा।

प्रभावित लोगों की शिकायतें सर्वप्रथम परियोजना कार्यान्वयन इकाई के परियोजना प्रधान के ध्यान में लायी जायेगी। राराविप्रनिलि के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निवारित न की गयी शिकायतें प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजना कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु स्थापित शिकायत निवारण समिति के ध्यान में लायी जायेगी। शिनिस प्रत्येक शिकायत के गुणावगुण का विनिर्धारण करेगी तथा शिकायतों का शिकायत प्राप्त होने के तीन महीने के अन्दर–अन्दर समाधान करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रभावित लोग देश की विधिक प्रणाली, जो शिनिर तक अभिगमन के समानान्तर चल सकती है, के लिए भी अभिगमन कर सकते हैं।

कार्यपालन सारांश

1. एशियन विकास बैंक राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रमान्तर्गत राजस्थान सरकार को बहु–वित्तांश वित्त पोषण सुविधा बढ़ाना प्रस्तावित कर रही है। परियोजना, भादला सौर पार्क, जोधपुर जिला, राजस्थान जिसके लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (राअऊनि) केन्द्रक एजेन्सी है, के 250 मे.वा. चरण 1 से आ रही सुविधाओं सहित पश्चिमी राजस्थान से ऊर्जा के निष्क्रमण में सहायता करेगी।

2. परियोजना की गतिविधियां राजस्थान में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के फायदेमन्द विकास का समर्थन करेगी। परियोजना, पश्चिमी राजस्थान में अवस्थित होने वाले निजी सौर तथा पवन ऊर्जा संयन्त्रों से राष्ट्रीय ग्रिड तक विश्वसनीय रीति से अक्षय ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए प्रसारण अवसंरचना का विकास करेगी। यह प्रत्याशित है कि पश्चिमी राजस्थान, आगामी पांच वर्षों में भादला सौर पार्क सहित 4200 मेगावाट (मे.वा.) से ऊपर सौर एवं पवन ऊर्जा संयन्त्र खड़े कर सकेगा। नीचे सारणी परियोजना वित्तांश 1 अवयवों की सूची पर्यावरणीय मुद्दों का सारांश प्रदान करती है।

वित्तांश 1 अवयव तथा पर्यावरणीय मुद्दों का सारांश

सं.	विषय	पर्यावरणीय मुद्दे
अवयव अ– नयी प्रसारण लाइनें – 400/220/132 केवी लाइनें		
i.	भादला 400/220/132/33 केवी ग्रिड सब–स्टेशन से 400 केवी एकल पथ जोधपुर–मेड़ता लाइन के लीलो बिन्दु तक 160 किमी लम्बी 400 केवी दोहरा परिपथ प्रसारण लाइन	लाइन के लिए भूमि कोई मुद्दा नहीं है, लाइन संरेखण के 10 किमी के आस–पड़ौस में कोई अभयारण्य/आरक्षित वन नहीं है। कोई भू–अवाप्ति अपेक्षित नहीं है।
ii.	400/220/132/33 केवी ग्रिड रामगढ़ सब–स्टेशन से 400/220/132/33 केवी भादला ग्रिड सब–स्टेशन तक 180 किमी लम्बी 400 केवी दोहरा परिपथ प्रसारण लाइन	लाइन के लिए भूमि कोई मुद्दा नहीं है, लाइन संरेखण के 10 किमी के आस–पड़ौस में कोई अभयारण्य/आरक्षित वन नहीं है। कोई भू–अवाप्ति अपेक्षित नहीं है।

iii.	400/220/132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन आकल से 400/220/132/33 केवी रामगढ़ ग्रिड सब–स्टेशन तक 100 किमी लम्बी 400 केवी दोहरा परिपथ प्रसारण लाइन	लाइन के लिए भूमि कोई मुद्दा नहीं है, लाइन संरेखण के 10 किमी के आस–पड़ौस में कोई अभयारण्य/आरक्षित वन नहीं है। कोई भू–अवाप्ति अपेक्षित नहीं है।
अवयव – ब नये ग्रिड सब–स्टेशन – 400/220/132 केवी		
iv.	भादला में नया 400/220/132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन	राज्य सरकार द्वारा 25.89 हैक्टेयर भूमि रारावित्रनिलि को पहले ही आंवटित कर दी गयी है। सब–स्टेशन के 10 किमी में कोई वन्य–प्राणी अभयारण्य या पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्र नहीं है।
v.	रामगढ़ में नया 400/220/132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन	राज्य सरकार द्वारा 23.46 हैक्टेयर भूमि रारावित्रनि को पहले से ही पट्टे दे दी गयी है। सब–स्टेशन के 10 किमी में कोई वन्य–प्राणी अभयारण्य या पारिस्थितिक संवदेनशील क्षेत्र नहीं है।
vi.	बाप (जिला –जोधपुर) में विद्यमान तथा निर्माणाधीन 220 केवी ग्रिड सब–स्टेशन तथा संबद्ध 220 केवी व 132 केवी लाइनें	प्रस्तावित 400 केवी भादला–मेड़ता (जोधपुर) लाइन के लिए लाइन गलियारा, लीलो तथा 220 केवी लाइन वाला उपयोग में लाया गया। लाइन के लिए भूमि कोई मुद्दा नहीं है, लाइन संरेखण के 10 किमी के आस– पड़ौस में कोई अभयारण्य/आरक्षित वन नहीं है। ग्रिड सब–स्टेशन निर्माणाधीन। कोई भू–अवाप्ति अपेक्षित नहीं है।
vii.	कानासर (जिला –जोधपुर) में 220 केवी ग्रिड सब–स्टेशन तथा संबद्ध 220 केवी व 132	प्रस्तावित 400 केवी भादला–मेड़ता (जोधपुर) लाइन के लिए लाइन

	केवी लाइनें	गलियारा, लीलो तथा 220 केवी लाइन वाला उपयोग में लाया गया। लाइन के लिए भूमि कोई मुद्दा नहीं है, लाइन संरेखण के 10 किमी के आस– पड़ौस में कोई अभयारण्य/आरक्षित वन नहीं है। ग्रिड सब–स्टेशन निर्माणाधीन। कोई भू–अवाप्ति अपेक्षित नहीं है।
अवयव स– ग्रिड सब–स्टेशनों का संवर्धन– 400/220/132/33 केवी		
viii.	400/220/132 केवी आकल ग्रिड सब–स्टेशन का संवर्धन	विद्यमान आकल ग्रिड सब–स्टेशन में सिविल कार्य। कोई भी सहयुक्त पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव नहीं।
ix.	400 केवी बीकानेर ग्रिड सब–स्टेशन पर विस्तार	विद्यमान बीकानेर ग्रिड सब–स्टेशन में सिविल कार्य। कोई भी संबद्ध पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव नहीं।
अवयव– द ट्रान्सफार्मर पैकेज – 400/220/132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन पर		
x.	रामगढ़, भादला तथा आकल ग्रिड सब–स्टेशन के लिए ट्रान्सफार्मर पैकेज	क्योंकि कोई भी सिविल कार्य अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी सम्बन्धित पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव नहीं।
अवयव – इ शंट प्रतिधातक पैकेज – 400/220/132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन पर		
xi.	रामगढ़, भादला, बीकानेर तथा आकल के लिए शंट प्रतिधातक पैकेज	क्योंकि कोई भी सिविल कार्य अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी सहयुक्त पर्यावरण व सामाजिक संधात नहीं।
अवयव –फ उपरोक्त अवयव 1 में नई प्रसारण लाइनों के लिए नया कण्डक्टर		
xii.	अवयव अ–i, iiतथा iii में 400 केवी लाइनों के लिए 400 केवी कण्डक्टर (तार)	क्योंकि कोई भी सिविल कार्य अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी सामाजिक व पर्यावरण प्रभाव नहीं।

अवयव –घ 132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन का उन्नयन		
xiii	सहयुक्त 132 केवी लाइन के साथ 132/33 केवी, 2x20/25 एमवीए ट्रान्सफार्मरों युक्त 132 केवी ग्रिड सब–स्टेशन का उन्नयन	क्योंकि कोई भी सिविल कार्य अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी सहयुक्त पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव नहीं।
अवयव –च विद्यमान सब–स्टेशन पर 132 केवी लाइनों का प्रभारण		
xiii.	132 केवी लाइनों का प्रभारण	क्योंकि कोई भी सिविल कार्य अपेक्षित नहीं है, अतः कोई भी सहयुक्त पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव नहीं।

स्त्रोत : जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर जिलों में नये सौर व पवन ऊर्जा संयन्त्रों का संशोधित विद्युत निष्क्रमण तन्त्र, रारावित्रनिलि

3. दो नये ग्रिड सब–स्टेशन सरकारी भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए आस–पास के समुदायों से भूमि अवाप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि भादला तथा रामगढ़ ग्रिड सब–स्टेशन के लिए प्रस्तावित भूमि झाड़ियों व धास–फूस के पौधों युक्त बंजर है, वहां पेड़ों को हटाने की जरूरत नहीं है। जोधपुर से भादला, भादला से रामगढ़ तथा रामगढ़ से आकल तक 400 केवी प्रसारण लाइनों तथा 220 केवी लाइन भादला से बाप, भादला से कानासर एवं अन्य लीलो लाइनों के लिए प्रस्तावित अधिकतर सीमा एक मौसम की खेती वाली भूमि, बिना खेती वाली भूमि से गुजरती है और कमतर सीमा मानवीय समझौते के माध्यम से और विद्यमान प्रसारण लाइनों के समानान्तर गुजरती है।

4. परियोजना लाभ ऋणात्मक प्रभावों से भरा है। ऋणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव सब–स्टेशनों, सब–स्टेशनों व विद्युत लाइनों की निर्माण गतिविधियों तथा सौर पार्क भूमि पर मृदा के निस्तारण विकास गतिविधियों हेतु भूमि की अवाप्ति से सहयुक्त होना संभावित है। स्थानीय प्रभाव तुलनात्मक रूप से राज्य के अल्प वन क्षेत्र की व्याप्ति तथा वन्य प्राणियों के निवास स्थान (इस मामले में मरू राष्ट्रीय पार्क) से बफर जोन के लिए उपलब्ध विस्तृत स्थान के कारण कम होगा। परियोजना की मुख्य गतिविधियां, ग्रिड सब–स्टेशनों का निर्माण वृहत् भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुयी प्रसारण लाइनों का विनिर्माण तथा भादला सौर पार्क तथा इसके आस–पड़ौस में अन्य सौर संयन्त्रों से जैसलमेर व जोधपुर क्षेत्रों में विद्युत निष्क्रमण होगी। ये ऋणात्मक प्रभाव फायदेमन्द रीति से कम किये जा सकते है और संचयी नहीं होंगे।

5. किसी भी उप–परियोजना स्थल पर कोई भी संकटग्रस्त या वनस्पति या प्राणि–समूह के संरक्षित वर्ग प्रतिवेदित नहीं किये गये हैं। पूर्वानुमानित प्रभावों के साथ ही उनसे सहयुक्त लागतों के पर्यावरणीय अल्पीकरण व अनुश्रवण हेतु पर्यापत प्रावधान किये गये हैं। कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव ध्यान में आता है तो उसे उपयुक्त अभिकल्प तथा प्रबन्धन उपायों का उपयोग कर तथा फसलों/पेड़ों की अस्थाई हानि के लिए क्षतिपूर्ति के प्रावधान के माध्यम से कम कर दिया जायेगा।

6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विनियमों के अनुसार सौर पीवी तथा सौर तापीय संयन्त्रों के लिए किसी पर्यावरण निर्धारित प्रभाव (पंनिप्र) के विकास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एशियन विकास बैंक, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (विपरि) विकसित किये जाने में ग्राविनि की सहायता कर रहा हैं। भारत सरकार (भास) की पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2009 के अनुसार विद्युत प्रसारण परियोजनायें पर्यावरणीय अति संवेदनशील परियोजनाओं के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (राराप्रनिम) या भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (पएवंमं) से किसी क्लीयरेन्स की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान वन विभाग से क्लीयरेन्स उन मामलों में आवश्यक है जहां उप–परियोजना का निर्माण वन भूमि पर किया जाता है या वन के पेड़ों को काटने की आवश्यकता हो।

7. चूंकि परियोजना में ऐसी गतिविधियां अन्तर्लीन नहीं हैं, जिनका कोई सार्थक प्रतिकूल प्रभाव हो, एकआईईई ने एशियन विकास बैंक सुरक्षोपाय नीति विवरण (सुनीवि) 2009 के अनुसार एक पर्यावरण प्रभाव मैट्रिक्स तथा पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना विकसित की हैं। आईईई रिपोर्ट क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय विनियमों के अनुरूप है तथा एविबैं परिचालन नियमावली एफ1/बीपी तथा एफ–1/ओपी (2003), पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणीय निर्धारण दिशा–निर्देश (2003) के सुसंगत भी है। तद्नुसार, परियोजना के लिए पर्यावरणीय वर्गीकरण, एविबैं सुरक्षोपाय नीति विवरण, 2009 के अनुसार, ''प्रवर्ग–बी'' है।

सारणी 30: पर्यावरणीय संधात मैट्रिक्स

क्र. स.	पर्यावरणीय लक्षण	संभावित संधात	संधात की प्रकृति	संधातो का परिमाण			अल्पीकरण उपाय	कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण
				निम्न	मध्यम	उच्च		
अ–	**भौतिक संसाधन**							
1.	स्थलाकृति	परियोजना के निर्माण के कारण सतह विशिष्टता तथा वर्तमान सौन्दर्य में परिवर्तन	सीधा / स्थानीय / अपरिवर्तनीय		x		टावर निर्माण के पश्चात् सतही मृदा प्रसामान्य ढ़ाल में पुनःस्थापित हो जायेगी। यदि वहां अधिक मृदा है तो इसे उपयुक्त अवस्थिति पर निस्तारित कर दिया जायेगा। पेड़–पौधों की किसी हानि का राजस्थान सरकार के प्रतिमानों के अनुसार राराविप्रनिलि द्वारा ध्यान रखा जायेगा। सब–स्टेशन के अन्दर अधिक मृदा राराविप्रनिलि के परामर्श से ईएमपी के अनुसार निस्तारित की जायेगी।	निर्माण गतिविधि के दौरान
2.	जलवायु	जलवायु – विषयक परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं।	सीधा / स्थानीय / अपरिवर्तनीय	x			जलवायु विषयक परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं, इसलिए कोई शमन अपेक्षित नहीं है।	
		वैधुतीय सब– स्टेशनें से	सीधा / स्थानीय /	x			सब–स्टेशनों में सभी एसएफ$_6$ गैस के रिसाव का उचित अभिलेख,	निर्माण व परिचालन के दौरान

		एसएफ$_6$ गैस की निगरानी	अपरिवर्तनीय				अभिलेख हेतु रखा गया	
आ.	**पर्यावरणीय संसाधन**							
1.	वायु गुणता	निर्माण के दौरान की अवधि में धूल उत्सर्जन में वृद्धि के कारण वायु की गुणवता पर परियोजना अत्यल्प प्रभाव रखेगी।	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			निर्माण स्थल पर पानी का छिड़काव, सीमित मात्र मृदा, वाहनों का संधारण	निर्माण गतिविधि के दौरान
2.	शोर–गुल	सामान्य निर्माण गतिविधि के कारण शोर–गुल	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			रात्रि में शोर उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबन्ध तथा व्यक्तिगत संरक्षी उपकरणों जैसे ईयर प्लगों, मफलरों का उपयोग	निर्माण गतिविधि के दौरान
		परिमण्डल से उपजा शोर–गुल कण्डक्टरों से शोर–गुल	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			समस्याओं को अभिज्ञात व सुधार करने के लिए संभव परिमण्डल शोर गुल की निगरानी	परिचालनीय चरण के दौरान
3.	सतही तथा भू–जल गुणता	निर्माण स्थल से अपवाह	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			टावरों को सावधानी से खड़ा करना तथा पहुंच पथ	निर्माण गतिविधि से पूर्व तथा दौरान

		निर्माण स्थल से धरेलू अपशिष्ट जल					सब–स्टेशन पर सैप्टिक टैंक/ सोरवाई गढ्ढ़े बनाकर घरेलू अपशिष्ट का उपचार। टावर अवस्थितियों हेतु यह अस्थाई स्थल होंगे।	निर्माण व परिचालन के दौरान
4.	मृदायें तथा भौमिकी	टावर निर्माण के कारण मृदा कटाव तथा मार्गाधिकार व पहुंच मार्ग में पेड़–पौधों की सफाई	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय		x		जो स्थल मृदा कटाव संभाव्य हों उन्हें टालना। टावर निर्माण स्थलों का समतलीकरण। कुछ पहुंच पथों का उपयोग। सब–स्टेशन पर पर विक्षुब्ध भूमिका का पुनर्वास तथा स्थिरीकरण	निर्माण गतिविधि के पूर्ण तथा दौरान
		भू–कम्पी गतिविधि के कारण क्षति	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			भौगोलिक परिस्थितियों तथा क्षेत्र की भू–कम्पिता को ध्यान में रखते हुये स्थल चयन तथा टावर नींव अभिकल्प	निर्माण गतिविधि से पूर्व
इ	**पारिस्थितिकीय संसाधन**							
1.	स्थलज पारिस्थितिकी	पेड़–पौधे की हानि	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय		x		गैर–कृषीय भूमि क्षेत्र पर टावरों की अवस्थिति। कुछ पहुंच मार्गों का चयन। ग्रामीणों को फसल व पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति। गैर–वन को दिक्परिवर्तित वन भूमि पर तथा गिर गये पेड़ों के	निर्माण चरण से पूर्व

							लिए पेड़ रोपण वन विभाग द्वारा किया जायेगा और उसका भुगतान रारावित्रनिलि द्वारा किया जायेगा।	
2.	स्थलज प्राणि समूह	निर्माण के दौरान स्थानीय प्राणि–समूह को अशान्ति	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			मार्ग चयन के दौरान यथासम्भव वन्य प्राणियों के मार्ग तथा निवासों को टाला गया है। अतिक्रमणों तथा अप्रत्यक्ष संधातों को न्यून करें।	निर्माण चरण के पूर्व तथा दौरान
	क्षेत्र विशेष का प्राणि समूह	निर्माण के दौरान स्थानीय प्राणी–समूह को अशान्ति	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			लाइनों का अनुश्रवण विशेषतः निर्माण के दौरान पक्षियों के टकराने का तथा आवश्यकता होने पर विक्षेपकों का उपयोग	परिचालन चरण के दौरान
3.	जलचर परिस्थितिकी	कोई महत्वपूर्ण संधात विचारित नहीं	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			नदी तथा प्रवाहों को प्रदुषित होने से टालने के लिए निर्माण अपशिष्ट व अन्य अपशिष्ट का निस्तारण	निर्माण चरण के पूर्व तथा दौरान
ई	**मानव–पर्यावरण**							
1.		प्रसारण लाइन के संरेखण मार्ग पर आग, विस्फोटन व अन्य दुर्धटनायें	सीधा/ स्थानीय	x			निर्माण के दौरान व्यक्तिगत संरक्षी उपकरणों का उपयोग। संधारण अवधि के दौरान पेड़ों की छंगाई या कटाई कर अग्नि खतरे कम किये जायेंगे। दुर्धटना प्रणत दोषों के लिए लाइनों का नियमित निरीक्षण	निर्माण तथा परिचालन चरण के दौरान

2.	स्वास्थ्य तथा सुरक्षा	विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए अनावृति	सीधा/ स्थानीय/ क्रमिक				संरेखण मार्ग समझौते से दूर। तत्काल आस–पड़ौस में तथा संरेखण के मार्गाधिकार में कोई धर अनुज्ञात नहीं किये जायेंगे। आगे और शमन की आवश्यकता नहीं है।	निर्माण चरण के पूर्व तथा पश्चात्
3.	कृषि	टावर निर्माण तथा पहुंच मार्ग के कारण कृषि भूमि की स्थाई तथा अस्थाई हानि	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			प्रमुख कृषि भूमि को टालें। अपेक्षित भूमि तथा क्षतिपूर्ति का निर्धारण। फसल कटाई के बाद निर्माण गतिविधि तथा पहुंच मार्ग चयन	निर्माण चरण के पूर्व तथा पश्चात्
4.	समाज अर्थशास्त्र	निर्माण चरण के दौरान लाभग्राही प्रभावी रोजगार अवसर	सीधा/ क्षेत्रीय		x		अकुशल श्रम तथा परोक्ष लाभ। कुल मिलाकर क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि।	परिचालनीय चरण के दौरान
5.	पुनर्स्थापन	मार्गाधिकार के समानान्तर आने वाले किसी भी घर का पुनर्स्थापन।	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय	x			मार्ग संरेखण का चयन इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी पुनर्स्थापन मुद्दा न आये।	निर्माण चरण से पूर्व
6.	सांस्कृतिक स्थल	लाइनों के निर्माण से कोई पुरातत्त्वीय	सीधा/ स्थानीय/ अपरिवर्तनीय				कोई पुरातत्त्वीय एतिहासिक या सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थल प्रभावित न हों।	

		एतिहासिक या सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थल प्रभावित न हों।						
7.	यातायात तथा परिवहन	निर्माण वाहनों के संचलन के कारण यातायात संकुलन	सीधा / स्थानीय / अपरिवर्तनीय	x			उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये निर्माण स्थल पर समुचित यातायात संकेत तथा पहुंच मार्गों का समुचित रख रखाव।	निर्माण चरण के दौरान
8.	ठोस अपशिष्ट उत्पादन	सतही व भूजल प्रदूषण की संभाव्यता	सीधा / स्थानीय / अपरिवर्तनीय	x			जहां तक सम्भव हो, न्यूनीकरण, पुनर्उपयोग, पुनःचक्र। प्रयोज्य विनियमों तथा नियमों की अनुपालना में अन्तिम अपशिष्ट को संगृहीत व निस्तारित किया जाना है।	परिचालनीय चरण के दौरान